न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

क्रि0 मी0 वाद सं0–282/2017

महादेव साह बनाम शंकर महामरीक

धारा 144 द0 प्र0 स0

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	3

आदेश

19/8/17

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध थाना प्रभारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एंव अन्य लेखात्मक साक्ष्यो का अवलोकन किया। उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि जरमुंडी थाना अंतर्गत मौजा कोल्होर पिंडारी के जमावंदी संख्या–42/39, दाग सं0– 1004/546, रकवा– 55डी0, जिसका चौहद्दी आवेदक के आवेदन पत्र में अंकित है, स्थित भूमि पर दखलकब्जा को लेकर पक्षकारों के बीच तनाव बना हुआ है तथा शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना बनी हुई है जिसे रोका जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त तथ्यो से संतुष्ट होकर मै अधोहस्ताक्षरी, अनुमंडल दंण्डाधिकारी, दुमका द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्ति का प्रयेाग करते हुए उभय पक्ष को उक्त विवादित भूमि पर जाने से रोकता हूँ तथा उक्त धारान्तर्गत प्रकिया निर्गत करते हुए दोनो पक्षो को आदेश देता हूँ कि दिनांक [illegible] को 10.00 बजे पूर्वा0 अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दाखिल करे कि क्यो नही जारी निषेधाज्ञा संबंधित पक्ष के विरुद्ध सम्पुष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक .... को रखें। [illegible]

लेखापित एवं संशोधित।

अनु0दण्डा0

अनुमंडल दण्डाधिकारी
दुमका।

13/10/17 [illegible]